कार्यालय नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा।

संख्याः– 573 /रा0वि0/न0नि0म0वृ0,मथुरा/2019 दिनांक :– 30-12-201

सार्वजनिक सूचना

शासनादेश संख्या – 2399/नौ–994–204/ जनरल/90 एंव शासनादेश संख्या 2806/नौ– 9–204/जनरल/90 के अनुपालन में नगर निगम मथुरा–वृन्दावन द्वारा नगर निगम अधिनियम 1959 की सुसंगत धारा 541 में दिये गये प्राविधानों के तहत लाईसेंस शुल्क उपविधि बनायी गयी है,। यदि किसी व्यक्ति/विशेष को उक्त उपविधि पर आपत्ति/सुझाव देने हों तो वह 15 दिन के अन्दर नगर निगम की वेबसाईट **nnmvonline.in** एंव कार्यालय में अवलोकन कर सकते हैं या नगर निगम मथुरा–वृन्दावन कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं तथा उक्त नियमावली से सम्बन्धित आपत्ति एंव सुझाव किसी भी कार्यदिवस में लिखित रूप से दे सकते हैं। समयावधि पश्चात् आपत्ति व सुझाव अमान्य होगें।

संयुक्त नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन
मथुरा।

प्रतिलिपिः–

1. मा0 महापौर महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. यूनीकॉम एड0 को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला दैनिक जागरण एवं दैनिक हिन्दुस्तान में उपरोक्त निविदा सूचना एक दिन न्यूनतम स्थान पर पर प्रकाशित कराते हुये प्रकाशित अंक की दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संयुक्त नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन,
मथुरा

Scanned by CamScanner

कार्यालय नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा

वाणिज्य नियन्त्रण लाइसेंस उपविधि

शासनादेश संख्या – 2399/नौ–994–204/जनरल/90 एंव शासनादेश संख्या 2806/नौ– 9–204/जनरल/90 के अनुपालन में नगर निगम मथुरा–वृन्दावन द्वारा नगर निगम अधिनियम 1959 की सुसंगत धारा 541 में दिये गये प्राविधानों के तहत लाईसेंस शुल्क उपविधि बनायी जाती है जो सरकारी गजट में प्रकाशन के पश्चात् प्रभावी होगी।

वाणिज्य नियन्त्रण लाइसेंस उपविधि– 2019

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. यह उपविधि नगर निगम मथुरा वृन्दावन वाणिज्य नियन्त्रण लाइसेंस उपविधि कही जायेगी।
2. यह नगर निगम मथुरा वृन्दावन की सीमा मे लागू होगी।
3. यह गजट मे प्रकाशित होने की दिनांक से प्रवृत होगी।

परिभाषाये–5 विषय या प्रंसग में कोई बात प्रतिकूल होने पर इस नियमावली में–

2. परिभाषाएं–

(1)जब तक विषय संदर्भ मे कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि मे–

(एक) " अधिनियम" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 से है।

(दो) " निगम" से तात्पर्य नगर निगम मथुरा वृन्दावन से है।

(तीन) " नगर आयुक्त" से तात्पर्य नगर निगम मथुरा वृन्दावन के नगर आयुक्त से है।

(चार) शुल्क का तात्पर्य नगर निगम में वर्णित मदो पर लगाये शुल्क से है।

(पांच) निरीक्षणकर्ता से तात्पर्य नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से है, जो कर निरीक्षक से न्यून न हो। उपविधि में दी गयी सारणी में वर्णित मदों पर निर्धारित धनराशि को नगर निगम मथुरा–वृन्दावन की सीमा में व्यवसाय करने पर वार्षिक शुल्क के रूप में देना होगा।

1. उपविधि में दी गयी सारणी में वर्णित मदों पर शुल्क लिये जाने की सूची तैयार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा–वृन्दावन को होगा।
2. लाइसेंस शुल्क वित्तीय वर्ष के प्रथम माह अप्रैल में देय होगा।
3. यदि शुल्कदाता अपना सम्बन्धित व्यवसाय बंद करता है तो उसे 15 दिवस में लिखित सूचना नगर निगम मथुरा–वृन्दावन को देना होगा। नगर आयुक्त स्वयं अथवा प्राधिकृत अधिकारी से जाँच कराकर संतुष्टि पश्चात भविष्य के लिये अवधारित शुल्क की समाप्ती कर सकता है।
4. अवधारित शुल्क की धनराशि यदि शुल्कदाता द्वारा माह अप्रैल तक जमा की जाती है तो कोई विलम्ब शुल्क देय नहीं होगा। तत्पश्चात रू0 50/– विलम्ब शुल्क देय होगा।

Scanned by CamScanner

सारणी

क्र0सं0	विवरण	प्रस्तावित	दर
क	होटल रेस्टोरेन्टः–		
1	रेस्टोरेन्ट	400.00	प्रतिवर्ष
2	होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 10 शैय्या तक	1000.00	प्रतिवर्ष
3	होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 11 शैय्या से 20शैय्या तक	2000.00	प्रतिवर्ष
4	तीन सितारा होटल	9000.00	प्रतिवर्ष
5	पांच सितारा होटल	12000.00	प्रतिवर्ष
ख.	नर्सिंग होम		
1	नर्सिंग होम– 20 बैड तक	2000.0	प्रतिवर्ष
2	नर्सिंग होम– 20 बैड से ऊपर	5000.0	प्रतिवर्ष
3	प्रसूति ग्रह– 20 बैड तक	4000.0	प्रतिवर्ष
4	प्रसूति ग्रह– 20 बैड के ऊपर	5000.0	प्रतिवर्ष
5	प्राइवेट अस्पताल	5000.0	प्रतिवर्ष
6	पैथोलोजी सेंटर	1000.0	प्रतिवर्ष
7	एक्सरे क्लीनिक–	2000.0	प्रतिवर्ष
8	डेंटल क्लीनिक– प्राईवेट	2000–4000.0	प्रतिवर्ष
9	प्राइवेट क्लीनिक	1000–3000.0	प्रतिवर्ष
ग.	परिवहन–		
1			
2			
3	ऑटो रिक्शा– 2 सीटर	360.0	प्रतिवर्ष
4	ऑटो रिक्शा–7 सीटर टैम्पो	720.0	प्रतिवर्ष
5	ऑटो रिक्शा– 4 सीटर ई. रिक्शा	500.0	प्रतिवर्ष
6	मिनी बस	1500.0	प्रतिवर्ष
7	बस	2500.0	प्रतिवर्ष
8	तांगा	50.0	प्रतिवर्ष
9	रिक्शा किराये पर	150.0	प्रतिवर्ष
10	रिक्शा निजी चालित	75.0	प्रतिवर्ष
11	ठेला/ठेली	100.0	प्रतिवर्ष
12	हाथ ठेला	25.0	प्रतिवर्ष
13	बैल गाड़ी/भैंसा गाड़ी	25.0	प्रतिवर्ष
14	ट्राली	150.0	प्रतिवर्ष
15	अन्य चार पहियों के वाहन व्यापारिक प्रयोग हेतु सभी वाहन	1000.0	प्रतिवर्ष
	अन्य व्यवसाय		
1	धुलाई गृह (लान्ड्री)	500.00	प्रतिवर्ष
2	ड्राईक्लीनर	1000–2500.00	प्रतिवर्ष
3	फाइनेंस कम्पनी, चिट फंड	6000.00	प्रतिवर्ष
4	इन्श्योरेंस कम्पनी, प्रति शाखा	12000.00	प्रतिवर्ष
5	फाउन्डिंग इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल	1200.00	प्रतिवर्ष
6	पशुवध (स्लाटर हाउस)	रू0 10 प्रतिपशु	प्रतिवर्ष
7	हड्डी खाल गोदाम	1000.00	प्रतिवर्ष
8	बार/बियर	6000.00	प्रतिवर्ष

Scanned by CamScanner

9	आइस फैक्ट्री	**1000.00**	प्रतिवर्ष
10	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	5000.00	प्रतिवर्ष
11	देशी शराब (प्रति दुकान)	6000.00	प्रतिवर्ष
12	विदेशी शराब (प्रति दुकान)	12000.00	प्रतिवर्ष
13	भैंसा मांस की दुकान	300.00	प्रतिवर्ष
14	बकरा मांस की दुकान	600.00	प्रतिवर्ष
	पशुपालन		
1	प्रति पशु – बड़ा	10.00	प्रतिवर्ष
2	प्रतिपशु– छोटा	5.00	प्रतिवर्ष
3	काजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना		
क	छोटा जानवर	50.00	**प्रतिदिन**
ख	बड़ा जानवर	100.00	**प्रतिदिन**
4	प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर बकरी आदि	10.00	**प्रतिदिन**
5	प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर गाय, भैंस, घोड़े आदि	**30.00**	**प्रतिदिन**

शास्ति और अपराधों का प्रशमन–

(1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा मे प्रथम उल्लंघन तिथि की सिद्धि के पश्चात् ऐसे दिन के लिये जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा, ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिये निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

(3) यदि प्रयास करने के पश्चात भी उपरोक्त धनराशि वसूल नहीं हो पाती है अथवा बकायेदार द्वारा अदा करने से इंकार कर दिया जाता है तो उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 503 से 514 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बकाया धनराशि की वसूली की जायेगी।

Scanned by CamScanner